न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 541/2017/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 14.06.2017	तारीख फैसला 16.06.2017

उनवान

सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत अरनिया घोड़ा पंचायत समिति, शाहपुरा
– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा
– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया घोड़ा : प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 एल0आर0एक्ट विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम अरनिया घोड़ा जमाबन्दी संवत 2039–42 साबिक नम्बर 14 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, 271/1 रकबा 9 बीघा 08 बिस्वा, 271 मी रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 273/1 मी0 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व आ0न0 16 रकबा 11 बिस्वा जमाबन्दी संवत 2039–42 मे विकास पंचायत अरनिया घोड़ा के नाम आबादी से दर्ज था। जिसे सेटलमेन्ट के बाद जमाबन्दी मे आ0न0 443, 554, 664/443 रकबा क्रमशः 2.25 है0, 3.73 है0, 0.13 है0 किता 3 रकबा 6.11 है0 को विकास पंचायत अरनिया घोड़ा के चरागाह के खाते मे दर्ज कर दिया गया। जबकि वर्तमान मे आबादी बसी हुई है तथा सार्वजनिक भवन बने हुये है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आबादी दर्ज कराई जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर तहसीलदार शाहपुरा को बाद जॉच बिन्दुवार रिपोर्ट हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 13.06.2017 को बाद जॉच बिन्दुवार रिपोर्ट के साथ प्रकरण प्रेषित किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण एवं प्रस्तुत साबिक/हाल जमाबन्दी, मिलान क्षैत्रफल से प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत लिपिकीय भूल से हुई त्रुटि को कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ग्राम अरनिया घोड़ा की हाल जमाबन्दी मे आ0न0 443, 554, 664/443 रकबा क्रमशः 2.25 है0, 3.73 है0, 0.13 है0 किता 3 रकबा 6.11 है0 को विकास पंचायत अरनिया घोड़ा के चरागाह के बजाय आबादी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, शाहपुरा को दिये जाते

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

है। पालनार्थ प्रति तहसीलदार शाहपुरा को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को सरे इजलास गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पालना कर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)